



# आन्ध्र प्रदेश,गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य विधान सभाओं में रिक्त सीटों को भरने के लिए उप चुनाव के कार्यक्रम

Posted On: 27 JUL 2017 4:44PM by PIB Delhi

विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं में स्पष्ट रिक्तियां हैं जिन्हें भरने की जरूरत है:-

क्रम संख्या	राज्य	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या
1	आंध्र प्रदेश	139 - नांदयाल एसी
2	गोवा	19 - वल्पोई एसी
		11 - पणजी एसी
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	07 - बवाना (अनुसूचित जाति)एसी

निर्वाचन आयोग ने स्थानीय उत्सवों, मतदाता सूचियों और मौसम जैसे विभिन्न कारणों को देखते हुए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप चुनाव कराने का निर्णय लिया है:

चुनाव प्रक्रिया	आंध्र प्रदेश,गोवा तथा दिल्ली
गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि	29.07.2017 (शनिवार)
नामांकन की अंतिम तिथि	05.08.2017 (शनिवार)
नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	07.08.2017 (सोमवार)
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि	09.08.2017 (बुधवार)
मतदान की तिथि	23.08.2017 (बुधवार)
मतगणना की तिथि	28.08.2017 (सोमवार)
इस तिथि के पूर्व चुनाव पूरा हो जाएगा	31.08.2017 (गुरुवार)

### मतदाता सूची

एक जनवरी 2017 मानक के साथ आंध्र प्रदेश,गोवा तथा राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मतदाता सूचियां प्रकाशित कर दी गई हैं। वर्तमान मतदाता सूचियां के आधार पर ही इन राज्यों में उप चुनाव होंगे।

### इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (एवीएम)

आयोग ने उप चुनाव में सभी मतदान केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा वीवीपीएटी के इस्तेमाल का निर्णय किया है। पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीने उपलब्ध कराई गई हैं। इन मशीनों की सहायता से सुगमता के साथ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाये गये हैं।

### मतदाताओं की पहचान

पिछले व्यवहारों के अनुरूप आयोग ने मतदान के समय इन उप चुनाव में मतदाता की पहचान को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो उसके लिए अलग से निर्देश जारी किये जाएंगे ताकि उप चुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति दी जा सके।

### आदर्श आचार संहिता

उन जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होगी जिनमें उप चुनाव के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा आता है। 26 अप्रैल 2012 को आयोग द्वारा जारी निर्देश संख्या 437/INST/2012/CC&BE के माध्यम से आंशिक सुधार किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।

वीके/ैएजी/एम -3167

■

—

~

]

...